AFR

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील संख्या 805 वर्ष 2006

• राजकुमार, पिता–सुकलू राम सतनामी, उम्र–25 वर्ष निवासी नवागांव थाना– गुंडरदेही, जिला–दुर्ग (छ.ग)..... अपीलकर्ता

बनाम

• छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा– पुलिस थाना गुंडरदेही जिला– दुर्ग (छ.ग)
प्रतिवादी/ राज्य द्वारा

.....

अपीलकर्ताः– श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/राज्य द्वाराः– श्री राहुल झा, अधिवक्ता

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री गौतम चौरडिया जी

निर्णय

20.10.2020

1. मामले की सुनवाई वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती है ।
2. यह अपील सत्र परीक्षण क्रमांक 32/2006 में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी), दुर्ग द्वारा दिनांक 16.10.2006 को परित दोषसिद्ध एवं सजा के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दंड

संहिता (इसके पश्चात "आई.पी.सी.") की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था तथा उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी ।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 15.11.2005 को शिकायतकर्ता रामकुमार अपने बच्चों को अपनी मां दशरी बाई के पास छोड़कर अपनी पत्नी के साथ धान की फसल काटने चला गया । जब वह लगभग साढ़े तीन बजे घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर लेटी हुई है और सीने में दर्द की शिकायत कर रही है और उसका भाई मोहन और एक पड़ोसी जितेंनद्र कुमार उसकी मालिश कर रहे हैं । घर में क्या हुआ, इस बारे में पूछताछ करने पर उसकी मां ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे मृतका (दशरी बाई) की पोती सत्यवती और वतर्मान आरोपी/अपीलार्थी के बेटे विनय कुमार के बीच झगड़ा हुआ और उस समय जब उसने (मृतका) हस्तक्षेप किया तो आरोपी/अपीलार्थी ने हमला कर दिया । आमिन बाई और फुल्लो बाई घटनास्थल पर पहुंचे और घटना वाले दिन ही करीब 7.00 बजे दशरी बाई को दिल का दौरा पडने से मौत हो गई और इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता रामकुमार द्वारा एफ. आई. आर. (प्र.पी.–02)दर्ज कराई गई ।

वर्तमान में अभियुक्त/अपीलकर्ता राजकुमार ने 16.11.2005 को मर्ग सूचना दर्ज कराई । (प्र.पी.–03) के माध्याम से स्पॉट मैप (प्र.पी.–04) जांच अधिकारी द्वारा तैयार किया गया तथा दूसर स्पॉट मैप (प्र.पी.–05) संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किया गया । जांच रिपोर्ट (प्र.पी.–06) दो गवाहों की मौजूदगी में तैयार की गई । पोस्टमार्टम डॉ. सी.बी. प्रसाद (पीडब्लू 11) ने किया, जिन्होंन (प्र.पी.–10) के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने कहा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक की मौत का कारण दिल का दौरा है तथा पहले वह एनीमिया से पीडित थी, घटना के 05.30 बजे के बाद उसकी मौत हो गई ।

4. सामान्य जांच के बाद, अपीलकर्ता के लिखाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया । इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किया । अपीलकर्ता ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसने सुनवाई की प्रार्थना की ।

5. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष 11, गवाहों से पूछताछ की, जिसमें श्रीमती फुलकुंवर बाई (पी.डब्लू–01) श्रीमती बिंदा बाई(पीडब्लू–02), रामकुमार (पी.डब्लू–03),श्रीमती ओमिनबाई (पी.डब्लू–04),मोहन (पी.डब्लू–05), जितेन्द्र (पी.डब्लू–06), कु.सुनीता (पी.डब्लू–07),कु.सत्यवती (पी.डब्लू–08), मन्नूलाल (पी.डब्लू–09),नारायण ओटी(पी.डब्लू–10) और डॉ.सी.बी. प्रसाद (पी.डब्लू–11) शामिल है । सीआरपीसी के धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और उसने बचाव में कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योकि उसके खिला रिकार्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नही है । हालांकि अपीलकर्ता की ओर से किसी बचाव गवाह की जांच नही की गई है

6. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्तओं और राज्य द्वारा के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोन करते हुए, इस निर्णय के पैरा दो में उल्लेखित अनुसर अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी.–10) के अनुसार अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा कोहनी से किए गए हमले के कारण कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं है । उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतका दशरी बाई पहले से ही एनीमिया से पीडित थी, उसका लीवर बड़ा हो गया था और डॉ.सी.बी. प्रसाद (पी.डब्लू–11) द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी–10) के अनुसार मृतका की मृत्यु कमजोरी और एनीमिया के कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई । उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि श्रीमती फुलकुवंर बाई (पी.डब्लू–01), जो घटना के समय घटनास्थल पर पहुंची थी, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नही किया है और अपने बयान से पलट गई है । उन्होंने आगे अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों श्रीमती बिंदा बाई (पी.डब्लू–02) और मोहन (पी.डब्लू–05) को भी प्रस्तुत किया । घटना के प्रत्यक्षदर्शी नही है और इसलिए उनके बयान मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए विश्वसनीय नही है और इस तरह, आरोपी/अपीलकर्ता की ओर से मृतक की मृत्यु का कोई इरादा, मकसद या ज्ञान नही है और इसलिए विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में त्रुटि की है । उन्होंने यह भी कहा कि घटना वर्ष 2005 में हुई थी, अपीलकर्ता 2006 में विचारण का सामना कर रहा है और वह पहले ही 18 दिनों की अवधि के लिए जेल में रह चुका है । अपीलकर्ता के खिलाफ कोई पूर्ववृत आपराधिक रिकार्ड भी नही है, इसलिए अपीलकर्ता की उम्र को देखते हुए, न्याय का उद्देश्य पूरा होगा, यदि उसे उसके द्वारा पहले से बिताई गई अवधि के लिए सजा दी जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. छत्तीसगढ़ राज्य के मामले का समर्थन करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों को देखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराना पूर्णतः न्यायासंगत है, जिसके लिए हस्ताक्षेप करने की आवश्यता नही है।

9. उभयपक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तओं का तर्क सुना गया है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख और विवादित निर्णय का अवलोकन किया है ।

10. पक्षकारों के वकील द्वारा इस बात पर विवाद नही किया गया कि मृतक की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई थी तथा डॉ. सी.बी. प्रसाद (पी.डब्लू–11) क्षरा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी.–10)के अनुसार मृतक एनीमिया से पीडित था तथा मृतक के शरीर पर आरोपी/अपीलकर्ता द्वारा कोहनी से किए गए हमले के कारण कोई आंतरिक या बाहरी चोट नही पाई गई थी । उन्होंने (डॉक्टर ने) अपनी जिरह के पैराग्राफ 05 मे यह भी कहा कि एनीमिया के कारण मृतक को गंभीर चोटें आई थी । लीवर का आकार बढ़ जाने तथा हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई, अतः आरोपी/अपीलकर्ता द्वारा किया गया हमला उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नही है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्रीमती फुलकुंवर बाई (पी.डब्लु–01) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि बच्चों के बीचा विवाद होने के कारण झगड़ा को शांत करने का प्रयास किया था । उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नही किया तथा अपने बयान से पलट गई ।

12. श्रीमती बिंदा बाई (पी.डब्लु–02) जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी नही है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि लगभग 3.30 बजे जब वह अपने पति के साथ धान काटने के बाद घर आई तो उन्हें बताया कि मृतक की पोती और अभियुक्त/अपीलकर्ता के बेटे के बीच झगड़े के कारण, आदेशानुसार अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक पर एक बार कोहनी से हमला किया था ।

13. मृतक के पुत्र रामकुमार (पी.डब्लु–03)ने एफआईआर दर्ज कराई है (प्र.पी–02) तथा घटनास्थल का नक्शा भी साबित किया है (प्र.पी.–05)

14. कु. सत्यवती (पी.डब्लु–08) जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी है तथा घटना के समय वहां उपस्थित थी, ने अपने साक्ष्य में कहा हैै कि जब अभियुक्त के पुत्र तथा उसके बीच झगड़ा हुआ, तो उसकी दादी ने अभियुक्त की पत्नी से विवाद के संबंध में कहा तथा उसी समय,उपस्थित अभियुक्त ने अपनी कोहनी से उप पर हमला कर दिया ।

15. ज्ञानेश्वर दगडोबा हिवरेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 1982 में रिपोर्ट की गई, सीआरआई एल.जे.1870, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी और मृतक पड़ोसी और मित्र थे, कुछ झगड़े के बाद आरोपी ने एक दूसरे पर वार कर दिया । मृतक के सिर पर मात्र 210 ग्राम वजनी एक छोटी सी छड़ी से वार करने के मामले में, न्यायालय ने यह माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को यह जानकारी थी कि इस प्रकार की छड़ी से वार करने से मृतक की मृत्यु हो जाएगी, तथा तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत उसकी दोषसिध्दि को खारिज कर दिया इसके स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया ।

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नही पाई गई । अभियुक्त ने अपनी कोहनी से हमला किया था, जो अकेले मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नही था, यह स्पष्ट है कि उसका (अपीलकर्ता)ऐसा करने का कोई इरादा नही था या उसके द्वारा उसे चोट नही पहुंचाई गई थी, मृतक की मृत्यु का करण बनने का ज्ञान नहीं है और इस प्रकार, कोई चोट नहीं पहुंची है । अभियुक्त ने मृतक की पत्नी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को स्वैच्छिक चोट पहुंचाई, मृतक एनीमिया से पीडित थी, जिसके कारण लीवर बढ़ गया था, और वह दिल का दौरा पड़ने से मर गई और जाहिर है, यह अपीलकर्ता द्वारा कोहनी से किए गए हमले के साथ संबंध है ।

17. इस प्रकार, मेरी सुविचारित राय में, अभियुक्त ने स्वेच्छा से मृतक को साधारण चोंटें पहुंचाई और, इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत अपराध नही बनता है और इसके बजाय अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत अपराध बनता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक अपीलकर्ता की सजा का सवाल है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना वर्ष 2005 में घटी थी, अपीलकर्ता वर्ष 2006 से मुकदमें का सामना कर रहा है, घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष थी और यह तथ्य कि अपीकर्ता पहले ही एक माह और 18 दिन जेल में रह चुका है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान में वह जमानत पर है, जॉर्ज पोन पॉल बनाम कनागलेट एवं अन्य (2009)13 एससीसी 478 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस तथ्य पर विचार किया गया था कि जुर्माना राशि जमा कर दी गई है और पीडिता को भुगतान कर दिया गया है तथा लंबा समय बीत जाने के कारण, अभियुक्त को पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए सजा सुनाई गई थी, इस न्यायालय की राय है कि यदि उसे पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा ।

19. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत

अपीलकर्ता की दोषसिध्दि को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में बदल दिया गया है, उसे छतीसगढ़ की अदालत ने पहले ही सजा सुनाई है । अपीलकर्ता जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत सीआरपीसी की धारा 437 ए के प्रावधानों के अनुसार उसकी जमानत बांड आज से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

सही /-
(गौतम चौरडिया)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**